फा. सं.-ए-12018/52023-स्था. (मु.) [ई-26922]

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

******

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 04.01.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: निदेशक, एनआईएएच, बागपत, उत्तर प्रदेश के पद के भर्ती नियमों में पुनरीक्षण/संशोधन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिनांक 13.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुसार, भर्ती नियमों (आरआर) को तैयार करने/संशोधन करने के लिए किसी भी प्रस्ताव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भेजने से पहले, हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए भर्ती नियमों (आरआर) में प्रस्तावित संशोधन/पुनरीक्षण को 30 दिनों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए, पुनरीक्षण/संशोधन से पहले, निदेशक, एनआईएएच, बागपत, उत्तर प्रदेश के पद पर भर्ती नियमों के मसौदे को सूचनार्थ और सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए डीएएचडी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है।

2. सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे भर्ती नियमों के मसौदे को पढ़कर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों तो, वेबसाइट पर अपलोड होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को भेजने की कृपा करें। यदि, निर्धारित समय के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो विभाग उपरोक्त वर्णित मसौदा भर्ती नियमों में संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

(मधुसूदनन वी.के.)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23382779

E-mail-manuj.gupta@nic.in

संलग्नक: यथोक्त

सेवा में,

सभी संबंधित हितधारक

प्रतिलिपि:

1. एनआईसी प्रभाग, डीएएचडी को उक्त को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
2. निदेशक, सीसीएस-एनआईएएच, बागपत, उत्तर प्रदेश
3. संयुक्त सचिव (एलएच), डीएएचडी के निजी सचिव

[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड- 3, उपखण्ड (I) के प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, जनवरी, 2024

सा.का.नि. . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2007 को अधिक्रमण करते हुए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत में निदेशक (समूह 'क') के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2024।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना. - ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता. - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत में निदेशक (समूह 'क') के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक	1* *(2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय राजपत्रित समूह ''क'',	वेतन स्तर-14 (144200- 218200 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वालो रिक्तियों की प्रतिशतता		प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
		पद्धति	प्रतिशत			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	अल्प अवधि अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति।	100	**प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित)** I. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या वैधानिक या स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13क (131100-216600/-) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में दो साल की सेवा; या (iii) मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (123100-215900/-) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में तीन साल की सेवा; और	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

				II. निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों: अनिवार्य : क. (i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की पहली या दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से बी.वी.एससी/ बी.वी.एससी. और पशुपालन की डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से एम.वी.एससी. मेडिसिन / वायरोलॉजी/ पैथोलॉजी / बैक्टीरियोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी / इम्यूनोलॉजी / पैरासिटोलॉजी / पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य; (iii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद/ राज्य पशु चिकित्सा परिषद के पास पंजीकृत हो; और (iv) अनुसंधान/ प्रशासन/ प्रशिक्षण/ नीति निर्माण/ शिक्षा और योजना में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव टीके और अन्य बायोलॉजिकल क्षेत्र में अनुसंधान/ निर्माण/ विनियमन/ गुणवत्ता नियंत्रण में हो। या ख. (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से माइक्रोबायोलॉजी/ बैक्टीरियोलॉजी/ सीरोलॉजी/ वायरोलॉजी/ हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री; (ii) भारतीय चिकित्सा परिषद/राज्य चिकित्सा परिषद के पास पंजीकृत हो; और		

				(iii) अनुसंधान/ प्रशासन/ प्रशिक्षण/ नीति निर्माण/ शिक्षा और योजना में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव टीके और अन्य बायोलॉजिकल क्षेत्र में अनुसंधान/ निर्माण/ विनियमन/ गुणवत्ता नियंत्रण में हो। वांछनीय : (i) क (ii) या ख (i) में उल्लिखित किसी भी विषय में डॉक्टरेट की डिग्री; और (ii) शिक्षा/ योजना/ प्रशासन से संबंधित शासन/नीति निर्माण से संबंधित पशुपालन/ चिकित्सा विभाग/ विश्वविद्यालयों/ वैधानिक निकायों में उच्च स्तर पर कार्य करने का अनुभव। नोट 1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

[फा.सं.ए-12018/52023-स्था.(मु.)]

(गिरजा नन्द सिंह)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार